



Neutral Citation No - 2026:AHC:29202

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट-ए संख्या - 2026 की 1747

होविन्द्र

.....याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : लाल चन्द्र मिश्र
प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : प्रमोद कुमार सिंह, अपर महाधिवक्ता (भारत)

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित अनुतोषों की प्रार्थना हेतु प्रस्तुत की गई है:

I. प्रतिवादियों को यह निर्देशित करने के लिए परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निदेश जारी किया जाए कि वे इस माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 18595/2025 होविन्द्र बनाम भारत संघ एवं तीन अन्य में पारित आदेश दिनांकित 05.01.2026 के अनुसरण में सी.आर.पी.एफ. आरक्षी के एक पद को रिक्त रखें, क्योंकि प्रतिवादियों ने दिनांक 15.01.2026 को परिणाम घोषित किया, किन्तु आज पर्यन्त किसी भी चयनित अभ्यर्थी ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है।

II. ऐसी कोई अन्य उचित रिट, आदेश अथवा निदेश जारी किया जाए जो यह माननीय न्यायालय प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में उचित एवं समुचित समझे।

III. याचिकाकर्ता को याचिका की लागत प्रदान की जाए।”

आदेश दिनांकित 06.02.2026 के पारित होने के पश्चात्, उप महानिरीक्षक, समूह केन्द्र, सी.आर.पी.एफ., प्रयागराज के हस्ताक्षर के अधीन अनुदेश दिनांकित 09.02.2026 प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें दिनांक 06.02.2026 का एक सकारण आदेश अंतर्विष्ट है।

रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता उसे चुनौती देने हेतु समय की प्रार्थना करते हैं।

विद्वान स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है।

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



तदनुसार, रिट याचिका उक्त आदेश को रिट याचिका दाखिल करते समय चुनौती देने की स्वतंत्रता के साथ प्रत्याहृत मानकर खारिज की जाती है।

आज दाखिल अनुदेश अभिलेख पर लिए जाते हैं तथा परिशिष्ट-A के रूप में चिह्नित किए जाते हैं।

10 फरवरी, 2026

आशु

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"